

**Setting up of TV Centre at Berhampore
in Murshidabad**

4463. SHRI ZAINAL ABEDIN :
Will the Minister of INFORMATION
AND BROADCASTING be pleased
to state :

(a) whether it is a fact that a centre/
station for relaying TV programmes is in
the process of setting up at Berhampore
in Murshidabad district in West Bengal ;

(b) if so, the details of the scheme ;

(c) the progress so far achieved ;

(d) the scheduled time limit by which
it is expected to be completed ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF INFORMATION AND
BROADCASTING AND IN THE DE-
PARTMENT OF PARLIAMENTARY
AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) :
(a) to (d) Yes, Sir. A High Power TV
transmitter is under installation at
Berhampore in Murshidabad district.
Site has been acquired and orders for
10 KW TV transmitter, other necessary
equipment and 150 M Steel tower placed.
Construction of tower has been taken up.
The transmitter is expected to be com-
missioned during 1984.

(e) Does not arise.

“रंगदारी कर” की बसूली

4464. श्री बयाराम शास्त्र्य : क्या ऊर्जा
मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की
जानकारी है कि कुछ गैर-कानूनी तत्व लोहा
पट्टी, दोही बाड़ी और बसन्तीमाता
कोयला खानों में “रंगदारी कर” के रूप में

200 रुपए से 500 रुपए प्रति ट्रक बसूल कर
रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के
लिए सरकार किसी विशेष दल द्वारा इस
संबंध में जांच करवाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण
क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) :
(क) समाज विरोधी तत्व कोयला ट्रकों पर
“रंगदारी कर” के रूप में अवैधानिक धन
बसूल करते थे। दिनांक 26 अक्टूबर, 1983
को बसन्तीमाटा, दहीबाड़ी कोलियरियों में
कोयला डम्प के पास इन गैर-कानूनी गति-
विधियों के लिए दो व्यक्ति पकड़े गए थे
और उनके विरुद्ध एक मामला शुरू किया
गया है।

(ख) और (ग) घनबाद में पुलिस
प्राधिकारियों ने “रंगदारी विरोधी सेल”
स्थापित किया है और इस कदाचार को
प्रभावी ढंग से समाप्त करने के लिए निर्देश
भी दिए गए हैं। कंपनी ने विभिन्न बिज्जी
केन्द्रों पर नोटिस भी लगाए हैं जिनमें उप-
भोक्ताओं द्वारा दी जाने वाली कीमतें
बताई गई हैं और उपभोक्ताओं को चेतावनी
दी गई है कि अधिसूचित कीमतों से अधिक
कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।
इस विषय पर की गई कार्रवाई को देखते
हुए, इस स्थिति में आगे और जांच आव-
श्यक नहीं समझी गई है।

ऊर्जा मंत्रालयों में कर्मचारियों की
कठिनाइयों/शिकायतों को दूर
करने हेतु व्यवस्था

4465. श्री कमला मिश्र मजुकर : क्या
ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :